उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–25/2011–12

सुकदेव मंडल वगै0

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 25/02/12

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सुकदेव मंडल, पे0–स्व0 छठु मंडल वो चन्द्रशेखर मंडल, पे0–रघुनाथ मंडल वो बिनय कुमार मंडल, पे0–लूटन मंडल सभी साकिनान–कठौन, थाना–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–41/2009–10 के आदेश दिनांक–09.07.2011 के विरूद्ध अपीलवाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आदेश दिनांक–09.07.2011 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा–कठौन जमाबंदी सं0–128 दाग नं0–1653 के अंदर रकवा 00–00–10 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता सं0–01, रकवा 00–00–10 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता सं0–02 एवं रकवा 00–00–10 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता सं0–03 को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कठौन जमाबंदी सं0–128 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बड़ा लछु टुडू के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत बड़ा लछु टुडू नावल्द फौत कर गये हैं। बड़ा लछु टुडू ने अपने जीवनकाल में अपीलकर्त्ता सं0–02 के ससूर पैरू मंडल को वर्ष 1936 ई0 में कुर्फा के माध्यम से बंदोवस्त किया था। उसी प्रकार बड़ा लछु मंडल ने दिनांक–10.09.1936 ई0 को अपीलकर्त्ता सं0–01 एवं दिनांक–03.05.1936 ई0 को अपीलकर्त्ता सं0–03 के ससूर कालेश्वर साह को कुर्फा के माध्यम से बंदोवस्त किया था। कुर्फा से प्राप्त करने के बाद कुर्फादार द्वारा उस जमीन पर मकान बनाकर सपरिवार निवास करने लगे। उसके बाद उस जमीन पर कुर्फादार के वंशज होने के कारण अपीलकर्त्तागण सपरिवार निवास करते आ रहें हैं। उनका आगे कथन है कि इसके पूर्व भी उत्तरवादी राबड़ी हेम्ब्रम एवं अन्य के द्वारा श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आर0ई0आर0 केश नं0–261/79–80 दायर किया गया था। उस वाद में उत्तरवादी राबड़ी हेम्ब्रम

वगैरह के आवेदन को खारिज किया गया था। इसके बाद उत्तरवादी की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में मिस पिटीशन नं0–365/07–08 दायर किया गया था। उस वाद में भी निर्णय उत्तरवादी राबड़ी हेम्ब्रम के विरूद्ध में दिया गया था। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण उस जमीन पर 70 वर्ष पूर्व से मकान बनाकर सपरिवार निवास करते आ रहें हैं। इस प्रकार उक्त जमीन वर्तमान समय में कृषि योग्य जमीन नहीं रह गया है। उक्त जमीन का स्वरूप बदलकर आवासीय हो गया और आवासीय जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद नहीं किया जा सकता है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी राबड़ी हेम्ब्रम के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कठौन के जमाबंदी सं0–128 गत सर्वे में बड़ा लछु टुडू के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत बड़ा लछु टुडू ने अपने पुत्री मालको टुडू का शादी घरजमांय रिति से किया गया था। घरजमांय शादी के बाद मालको टुडू अपने जीवनकाल तक उस जमाबंदी की जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुत्री उत्तरवादी राबड़ी हेम्ब्रम उस पर दखलकार हुई। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी राबड़ी हेम्ब्रम एवं उनके हिस्सेदारों के बीच जमीन का हिस्सा को लेकर विवाद होने के कारण टाईटल सूट वाद दायर किया गया था। उस टाईटल वाद से अपीलकर्त्तागण का कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्त्तागण दूसरे जाति के हैं और अपीलकर्त्तागण का दावा कुर्फा के आधार पर है। इसलिए अपीलकर्त्तागण का अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–कठौन थाना नं0–48 जमाबंदी सं0–128 जमाबंदी रैयत बड़ा लछु टुडू वल्द बड़ा ठाकुर टुडू कौम संताल साकिन देह कहकर गत सर्वे खतियान में दर्ज है। गत जमाबंदी रैयत का वंशावली निम्न प्रकार दशार्या गया है :–

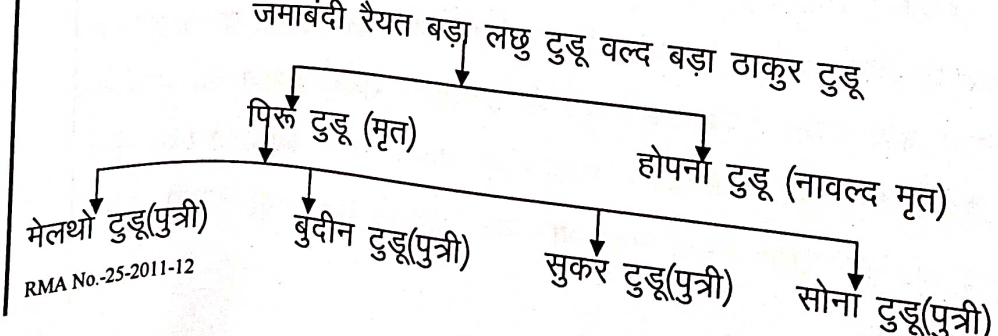

राबड़ी हेम्ब्रम (विवाहित जी0)
(उत्तरवादी)

आगे प्रतिवेदन है कि राबड़ी हेम्ब्रम जमाबंदी रैयत के परनतनी है। विवाहित है। प्रथम पक्ष सुकदेव मंडल वगैरह उक्त जमाबंदी रैयत के वंशवृक्ष में नहीं आते हैं। विवादित दाग नं0 के अंश भाग पर सुकदेव मंडल, पे0–सव0 छटुलाल मंडल वो चन्द्रशेखर मंडल, पे0–नघुनाथ मंडल एवं विनय मंडल, पिता–लुटन मंडल के द्वारा प्रति व्यक्ति रकवा 00–00–10 धुर भूमि रामजीत टुडू, पे0–स्व0 चुड़का टुडू से शपथ पत्र कुर्फानामा के आधार पर प्राप्त किया है। रामजीत टुडू, पे0–चुड़का टुडू उपरोक्त वंशवृक्ष में नहीं आते हैं। उनका आगे प्रतिवेदन है कि विवादित दाग नं0–1653 के अंदर 1. सुकदेव मंडल, पिता–स्व0 छटुलाल मंडल के द्वारा अपनी नीजी सुविधा के लिए रास्ता के रूप में घेराकर फाटक लगाकार उपयोग करते हैं। 2. चन्द्रशेखर मंडल, पिता–रघुनाथ मंडल के द्वारा उक्त विवादित दाग नं0–1653 में कमरा वना कर रखें हैं। जिसमें किसी प्रकार का उपयोग नहीं होता है। 3. विनय मंडल, पिता–लूटन मंडल के द्वारा कमरा निर्माण कर सैलून चलाने हेतु किराये पर लगाये हैं।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कठौन थाना नं0–48 जमाबंदी सं0–128 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में वड़ा लछु टुडू वल्द बड़ा ठाकुर टुडू के नाम से दर्ज है। निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त जमाबंदी के दाग नं0–1653 के अंदर प्रति व्यक्ति रकवा 00–00–10 धुर जमीन से अपीलकर्त्तागण को उच्छेद किया गया है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा निम्न न्यायालय एवं वर्तमान अपील वाद में उक्त जमीन कुर्फा से वर्ष 1936 में प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन अपीलकर्त्तागण की ओर से 1949 के पूर्व का कोई भी कागजी सबूत पेश नहीं किया गया है। अपीलकर्त्तागण का यह कथन है कि उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत की जमीन पर आवेदक सुकर टुडू एवं अन्य के आवेदन पर आर0ई0आर0 केश नं0–261/1979–80 वाद चलाया गया था। जिसमें उत्तरवादी राबड़ी हेम्ब्रम भी आवेदिका थी। उक्त आर0ई0आर0 वाद में आवेदक गण के आवेदन को संचित किया गया था। लेकिन कागजातों से स्पष्ट होता है कि उक्त उल्लेखित आर0ई0आर0 केश नं0–261/1979–80 वाद में अपीलकर्त्तागण पक्षकार नहीं थे। साथ ही साथ निर्णय में स्वत्व की बात का होना पाया गया था, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त वाद का वर्तमान वाद से

कोई संबंध नहीं है। अतः यह तथ्य विचारनीय नहीं है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्तागण उक्त जमाबंदी रैयत के वंशवृक्ष में नही आते हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन अपीलकर्त्तागण के आवासीय उपयोग की जमीन नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–41/09–10 में दिनांक–09.07.2011 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट को आदेश दिया जाता है कि उत्तरवादी को 08 (आठ) सप्ताह के अंदर दखल दिहानी दिलाकर न्यायालय को अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

25/08/14

उपायुक्त,
गोड्डा।

25/08/14

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
Parimal ... Adv
25-8-21

डी०ए० AD
148
13/9/14

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 14:04:31 +05:30
Location: 192.168.29.32